कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः1545/14—10 दिनांकःअलीगढ़,अक्टूबर 22 ,2018

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— **Proposed forest land (Protected Forest) diversion for 765 kv duble circuit transmission line Orai Aligarh transmission line involving 1.0082 ha. in Hathras District with felling of 11 trees and 0.6595 ha. in Aligarh District with felling of 46 trees & 280 poles, total 1.6677 ha. of trees with felling of 57 trees and 280 poles-reg.**

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / 06 / यू0पी0 / 04 / 22 / 2018 / एफ0सी0 / 198 दिनांक 23.03.2018, आपका पत्रांक 2845 / उरई—अलीगढ़ लाईन(1.6677) / 31506 / 2016 दिनांक 05.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस ने पत्र संख्या 1383 / 14—1 दिनांक 11.10.2018 द्वारा निराकरण कर संस्तुति सहित आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सहमति / संस्तुति सहित प्रेषित है।

शर्त संख्या	शर्ते	अनुपालन की स्थिति
1	2	3
1	As per GIS DSS analysis following points regarding proposed forest land for diversion and proposed compensatory afforestation:	
(a)	Kml files of alternated routes are not provided.	Alternated routes के .kml files सी0डी0 में संलग्न हैं।(संलग्नक—1)
(b)	The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.	प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल के टोपोशीट की मूल प्रति प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 97 से 100 तक पर संलग्न है।
(c)	Proposed CA area shows good vegetation therefore site suitability for compensatory afforestation needs a relook.	<u>अलीगढ़ वन प्रभाग—</u> प्रस्तावित स्थल का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 05.09.2018 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल पर छोटे—छोटे पैचों में वनीकरण कराया जा सकता है। चूँकि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 1.319 हे0 पर मात्र 412 पौधों का रोपण किया जाना है, जिनकी सुरक्षा, संवर्धन, सिंचाई व्यवस्था आदि अलग से किया जा पाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल पर 412 पौधों का रोपण खाली स्थानों पर किया जायेगा ताकि वृक्षारोपण की शत—प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सके। <u>हाथरस वन प्रभाग—</u> क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल अवनत ऊसर वनभूमि है, जो क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है।

2	Details of employmenty generated in E of part I is not consistent with details provided in short narrative of the project.	प्रस्ताव के भाग–1 के E में आवश्यक सुधार करके पूर्ण प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है जिसकी ऑनलाइन फार्म–ए की मूल प्रति प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 01 से 04 पर संलग्न है।
3	Land schedule shall be revsied keeping perpendicular distance as aporoved RoW which is 67 mts in Θthis case.	चूँकि निर्माणाधीन 765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन की ROW (चौड़ाई) 67 मी0 है तथा प्रस्ताव में जिस मार्ग अथवा नगर को पारेषण लाइन perpendicular कास कर रही है उस स्थिति में land schedule 67 मी0 लिया गया है परन्तु उक्त पारेषण लाइन की कासिंग जिस किसी भी प्रस्तावित मार्ग अथवा नहर को perpendicular कास नहीं करने की स्थिति में विभिन्न angles पर कास कर रही है उस स्थिति में भी land schedule 67 मी0 की लम्बवत् दूरी के आधार पर किया गया है, परन्तु इस स्थिति में sinΘ का मान कम होगा तथा प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि होना स्वभाविक है और उसी के अनुसार उर सभी कासिंग की land schedule की गयी है जिसकीर पैमाइस सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से की गयी है। सभी land schedule 67 mts. ROW को मानकर ही की गयी है।
4	As per part II of the proposal there exists violation of FCA 1980, a self contained duly providing details of violation, causes, extent etc need submission from the concerned DFO along with details of action initiated.	<u>अलीगढ़ वन प्रभाग–</u> वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के स्थाई आदेश संख्या प–35/11–2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के मामलों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 04 बिन्दुओं की सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा Penalty की गणना हेतु दिये गये निर्देशों के अनुसार Penalty की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 61A पर संलग्न है।
5	Site inspection report of DFO Hathras does not indicate legal status of forest land.	प्रस्तावित स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर लिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 58 पर संलग्न है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1445 **/14–1 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, अलीगढ़ एवं हाथरस।
2. उप महाप्रबन्धक, (लाईन निर्माण) पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र–3 फ्लेट नं0 304 ब्लाक–डी, ग्रीन पार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii